की मांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद संख्या– 11/2019–20
गोवर्धन यादव
–बनाम–
मो0 मंसूर

अपीलार्थी :–(1). गोवर्धन यादव, पिता–स्व0 रामनाथ यादव,
सा0–सकरीगली, रामपुर करारा,
थाना–साहेबगंज (मु0), जिला–साहेबगंज।

उत्तरवादी :– (1). मो0 मंसूर, पिता–स्व0 मो0 सलीम,
सा0–सकरीगली, रामपुर करारा,
थाना–साहेबगंज (मु0), जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

18.02.2022

प्रस्तुत वाद उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार, साहेबगंज द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0– 01/2015–16 में दिनांक– 31.08.2019 को पारित आदेश के विरूद्व अपील वाद दाखिल किया गया है। वाद को अंगीकृत करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत की गई एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग की गई।

नोटिस तामिला प्राप्त। निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त।

निम्न न्यायालय के अभिलेख की उपलब्धता के उपरांत वाद की सुनवाई प्रारंभ के क्रम में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी के दादा द्वारा वर्ष 1944 में मौजा–रामपुर करारा, जमाबंदी नं0–88, दाग नं0–750 का रकवा 00–18–03 धूर जमीन हजारीलाल के वंशज वेद प्रकाश लाला से वर्ष 2013–14 में क्रय किया गया है, जो नामांतरण वाद संख्या 464/2013–14 के द्वारा नामांतरण को स्वीकृत करते हुए शुद्धि पत्र निर्गत की गयी है।

उत्तरवादी द्वारा उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार, साहेबगंज के अन्तर्गत दायर म्यूटेशन अपील वाद में दिनांक 31.08.2019 को अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा पारित म्यूटेशन वाद संख्या 464/2013–14 में पारित आदेश को नियमतः गलत बताते हुए रद्ध किया गया है। जो उचित नहीं है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वर्ष 1944 में मौजा–रामपुर करारा, जमाबंदी नं0–88, दाग नं0–750 रकवा 00–08–13 धूर जमीन पूर्व रैयत शिवशाही लाला से निबंधित केवाला संख्या 1105/1944 द्वारा क्रय किया गया है। अज्ञानवश ससमय म्यूटेशन नहीं करा पाये। वर्ष 2013 में म्यूटेशन कराने का आवेदन अंचल अधिकारी, साहेबगंज को दिया गया, लेकिन म्यूटेशन खारिज करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में किया गया है, जो उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार, साहेबगंज द्वारा रद्ध करते हुए

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

उत्तरवादी के पक्ष में न्याय निर्णय प्राप्त है।

अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

अतः उभय पक्ष को सुनने तथा निम्न न्यायालीय अभिलेख के अवलोकन के क्रम में न्यायालय निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है कि:-

1. मौजा-रामपुर करारा, थाना नं0-03, जमाबंदी नं0-88, दाग नं0-750 का रकवा 00-08-13 जमीन की बिक्री वर्ष 1944 में निबंधित डीड के माध्यम से की गयी है।
2. बिक्री के उपरांत अंचल अधिकारी, साहेबगंज के म्यूटेशन वाद संख्या 464/2013-14 द्वारा किया गया है।
3. उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार, साहेबगंज द्वारा निर्गत पुष्टि पत्र जो अपीलार्थी के पक्ष में है, को रद्ध करते हुए उत्तरवादी के पक्ष में निर्णय दिया गया है।
4. डीड संख्या 1105/1944 जो शिवसहाय लाला, पिता-हजारीलाल व नवी बक्स, पिता-शेख रमजान अली के बीच 112/- (एक सौ बारह) रूपये में क्रय किया गया है, जिसका नामांतरण नहीं कराया गया है।
5. नवी बक्स के वंशज द्वारा 1974 में प्रश्नगत भूमि श्री राम प्रसाद यादव, सा0-सकरीगली को निबंधित केवाला के माध्यम से बिक्री किया गया।
6. उत्तरवादी द्वारा दाखिल खारिज कराये जाने हेतु समर्पित आवेदन दाखिल किया जाना तथा नवी बक्स के वंशज द्वारा क्रय की गयी भूमि का विक्रय राम प्रसाद यादव के वंशज द्वारा किसी प्रकार का आपत्ति दर्ज नहीं किया जाना अपीलार्थी के पक्ष को सम्पुष्ट किये जाने की ओर प्रदर्शित करता है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज के मुटेशन अपील वाद सं0- 01/2015-16 में संलग्न अंचल अधिकारी, साहेबगंज के नामांतरण वाद सं0- 464/2013-14 में अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि सुनवाई के समय 5 पक्षकार में से 4 पक्षकार उपस्थित। वाद की सुनवाई में सभी पक्षकारों के पक्षो को सुना एवं उपलब्ध दस्तावेजो का साक्ष्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मो0 मनसूर अलि, पे0- स्व0 मो0 सलीम, सा0- सकरीगली द्वारा दिनांक- 10.12.2023 को मौजा- रामपुर, थाना नं0- 03, दाग नं0- 750, रकवा- 00-18-03 धूर जमीन के नामांतरण वाद दाखिल किया गया। इसके आम इस्तेहार में नामांतरण के विरूद्ध श्री वेद प्रकाश लाला एवं शंभू यादव ने आपत्ति दर्ज की। इन आपत्तियो के कारण नामांतरण वाद स्थगित रहा।

पुनः गोवर्धन यादव, पिता- स्व0 रामनाथ यादव, सा0- सकरीगली के द्वारा उसी जमीन पर अपने पक्ष में नामांतरण कराने हेतु आवेदन दिनांक 02.08.2014 को दिया गया और इस प्रकार इस नामांतरण वाद को पूर्व में अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा खोले गए नामांतरण वाद सं0- 464/2013-14 को स्थानान्तरित कर

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही

इस वित्तीय वर्ष 2014–15 में सुनवाई की गई। पूर्व आवेदक मंसूर अली, पिता– स्व0 मो0 सलीम ने जिस भूमि का नामांतरण के लिए आवेदन किया था वह उनके दादा नवी वक्स द्वारा सन 1944 में शिव सहाय लाल, पिता– हजारी लाल से 112/– (एक सौ बारह) रूपये की राशि पर क्रय की गई। परन्तु इसका नामांतरण नहीं कराया गया। मो0 मंसूर अली के पिता शेख सलीम, पिता– शेख नबी बक्स द्वारा सन् 1974 में नामांतरण कराये वगैर यह जमीन श्री राम प्रसाद यादव, सा0– सकरीगली को कुल 700/– (सात सौ रूपये) मात्र की राशि पर बिक्री कर दी गई। जिसका कैवाला छायाप्रति संलग्न किया गया। इस तरह मो0 मंसूर अली द्वारा उक्त जमीन के अपने पक्ष में नामांतरण कराने का आवेदन न्यायोचित प्रतीत नही होता है। श्री गोवर्द्धन यादव ने उक्त जमीन की जमाबंदी धारक श्री हजारी लाल लाला के वंशज श्री वेद प्रकाश लाला से वर्ष 04.12.2013 में राशि 85000/– (पचासी हजार रूपये) में क्रय किया है एवं गोवद्धन यादव द्वारा अपने खरीद के समर्थन में लगान रसीद हजारी लाल लाला का प्रस्तुत किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2013–14 का है।

स्थानीय कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वर्त्तमान में उक्त जमीन गोवद्धन यादव के शांतिपूर्ण जोत आबाद में है एवं श्री शंभू यादव के पुत्र कन्हाई यादव जो कि राम प्रसाद यादव के पौत्र है, जिन्होने शपथ पत्र दाखिल किया है कि उन्हे या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को श्री गोवर्द्धन यादव के पक्ष में उक्त जमीन का नामांतरण करने से कोई आपत्ति नहीं है।

अतः नामांतरण वाद सं0– 464/2013–14 में आवेदक मंसूर अली के दावे को खारिज करते हुए मौजा– रामपुर थाना नं0– 03, जमाबंदी नं0– 88, दाग नं0– 750, रकवा– 00–18–03 धूर जमीन का नामांतरण श्री गोवर्द्धन यादव के पक्ष में करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार शुद्विपत्र निर्गत करें।

अतएव उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त अपीलार्थी के आवेदन, में उपलब्ध अभिलेख को स्वीकृत करते हुए उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार, साहेबगंज द्वारा पारित आदेश को Set-aside किया जाता है।

आदेश की प्रति उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार, साहेबगंज को उनके न्यायालय का मूल अभिलेख के साथ भेजें। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 18/4/22
उपायुक्त
साहेबगंज।

(हस्ताक्षर) 18/4/22
उपायुक्त
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.04.09 15:58:52 +05:30
Location: 192.168.0.155